मध्यप्रदेश माध्यम
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल–462011

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में चयनित होने पर प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश की झांकी निर्माण के लिये अल्पकालिक निविदा आमंत्रण सूचना

जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश के उपक्रम म.प्र. माध्यम की ओर से नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस 2026 की राष्ट्रीय परेड/भारत पर्व में चयन होने पर प्रदर्शित होने वाली झांकी की डिजाईन/मॉडल प्रस्तुत करने तथा अनुमोदन पश्चात तथा रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार फेब्रिकेशन आदि कार्य कर झांकी तैयार करने हेतु टर्न–की आधार पर अनुभवी झांकी/टेब्ल्यू निर्माताओं/फर्मों से ऑनलाइन अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक (झांकी) टेब्ल्यू निर्माता/फर्म म.प्र. माध्यम की वेबसाईट www.mpmadhyam.in से निविदा प्रारूप, नियम शर्तें डाऊनलोड कर सकते हैं। निविदा में भाग लेने हेतु mptenders.gov.in के माध्यम से भाग ले सकते है। निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) (वापसी योग्य नहीं) निविदा प्रपत्र शुल्क 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जायेगा। उक्त निविदा में किसी प्रकार परिवर्तन अथवा संशोधन होने पर जानकारी उक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जायेगी। संशोधन सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(1) पूर्णतः भरे प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.11.2025 दोपहर 3 बजे तक।
(2) तकनीकी प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की तिथि दिनांक 11.11.2025 सायं 4 बजे से।

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश माध्यम,
भोपाल

मध्यप्रदेश माध्यम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल–462011

टेलीफोन नं. 0755–2551910, 2551330

Web : - www.mpmadhyam.in

गणतंत्र दिवस परेड 2026 के अवसर पर नई दिल्ली में चयनित होने पर प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश राज्य की झांकी निर्माण के लिये दरों का निविदा प्रपत्र

अल्पकालिक निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र का मूल्य	–	रूपये 2,000/– (वापसी योग्य नहीं) (ऑनलाइन)
2. अमानत राशि	–	रूपये 1,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) (ऑनलाइन)
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 10.11.2025 समय अपरान्ह 3.00 बजे
4. निविदा खोलने की अंतिम तिथि	–	दिनांक 11.11.2025 समय सायं 4.00 बजे

(कुल पृष्ठ संख्या 11)

मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल–462011

मध्यप्रदेश राज्य की झांकी निर्माण के नियम एवं शर्तें

गणतंत्र दिवस परेड 2026 (26 जनवरी 2026) के अवसर पर नई दिल्ली में चयनित होने पर प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश राज्य की झांकी के निर्माण के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

1. निविदाकर्ता को झांकी निर्माण की दर टर्न–की आधार पर मटेरियल सहित दर्शानी होगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त झांकी हेतु चयनित हुए कलाकारों पर होने वाले व्यय को चयनित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। इसलिए निविदा दर में कलाकारों पर होने वाले व्यय को भी शामिल किया जाये।

2. गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह, नई दिल्ली 2026 के लिये राज्य की झांकी निर्माण के लिये फर्म के पास पूर्व में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन कार्य के अनुभव का कार्यादेश एवं फोटोग्राफ्स की प्रतियां संलग्न करना होगा। निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई थीमों के अनुसार डिजाईन बनाकर निविदा के साथ जमा करनी होगी।

3. Initiatives to be included in tableau component

1. It should be ensured that material used in fabrication of tableau is of highest quality.
2. Electronic display (LED, HD, 4K etc.) to be used for bright display of images or content.
3. Moving elements using Mechatronics/Robotics.
4. Innovative use of LED lighting to showcase dark/shadowed area.
5. Balancing of sound level of music
6. 3D printing could be used to depict certain elements.
7. Use of eco-friendly material for the tableaux.
8. Considering feasibility of display at important location after the Bharat Parv, so that more people can benefit seeing the creations.
9. Avoid use of plastic and plastic based products/material.

10. Use of special effects to the maximum extent feasible to improve the optics/visual effects of the tableau.
11. Maximize the use of technology.
12. To maintain quality and avoid monotony in look/design of the tableaux it may be ensured by States/UTs/Ministries/ Departments to engage such fabricators/designers who are not involved in fabrication of more than two tableaux including their proposal.

4. निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्तों को म.प्र. माध्यम, भोपाल के वेबसाईट www.mpmadhyam.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परन्तु निविदा में भाग केवल mptenders.gov.in के माध्यम से लिया जायेगा।

5. निविदा के साथ राशि 1,00,000/— (एक लाख रूपयें) सुरक्षा निधि एवं 2,000/— रूपयें निविदा शुल्क mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

(क) <u>तकनीकी बिड लिफाफा</u> :— इस लिफाफे में सभी शर्तें, अर्नेस्टमनी (सुरक्षा निधि), निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अन्य वांछित अभिलेख होने चाहिए। डिजाईन का साइज बड़ा होने पर उसका लिफाफा/रोल अलग से भी म.प्र. माध्यम में दिया जा सकता है। अभिलेखों की चेक लिस्ट का प्रारूप संलग्न है। (केवल ऑनलाइन जमा करना है।)

(ख) <u>वित्तीय बिड लिफाफा</u> :— इसमें केवल वित्तीय भाव पत्र (दरें) ऑफरकर्ता का नाम, हस्ताक्षर एवं संस्था मोहर के साथ होने चाहिए। (केवल ऑनलाइन जमा करना है।)

6. चयन समिति द्वारा जिस निविदाकर्ता की डिजाईन को महत्ता दी जायेगी एवं तकनीकी बिड स्वीकृत की जायेगी, उसी की (वित्तीय बिड) भाव पत्र (दरें) खोली जायेगी। अन्य निविदाकर्ता जिनकी डिजाईन का चयन नहीं होगा उनकी (वित्तीय बिड) भाव पत्र (दरें) नहीं खोली जायेगी।

7. झांकी निर्माण (टेब्ल्यू) के लिये दिये गये निर्देशों तथा एक्शन प्लान के अनुसार संतोषजनक निर्माण न होने, विलम्ब होने पर अथवा निम्न स्तर का निर्माण होने अथवा निम्न कोटि की सामग्री के उपयोग करने पर सुरक्षा निधि राशि (ऑफर के साथ संलग्न अमानत राशि) राजसात कर ली जायेगी और अंतिम देयक में समानुपातिक राशि की कटौती की जा सकती है। झांकी निर्माण कार्य आदेश मिलने के पश्चात 24 घंटे के अंदर निर्धारित स्थल पर कार्य प्रारंभ करना होगा।

8. झांकी (टेब्ल्यू) के निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री का स्वामित्व (रक्षा मंत्रालय के ट्रेक्टर और ट्रेलर को छोड़कर) म.प्र. माध्यम का होगा। ऑफरकर्ता यदि निर्माण सामग्री

कार्य पश्चात् वापस लेना होगा एवं Rate with material & without material ऑफर में इस राशि का अलग से उल्लेख करना होगा।

9. झांकी (टेब्ल्यू) देना या ना देना म.प्र. माध्यम की इच्छा पर निर्भर है, झांकी समाप्ति के पश्चात् डिस्मेंटलिंग का कार्य निर्माण/ठेकेदार को ही करना अनिवार्य है। यह कार्य एक निर्धारित समय पर रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार करने होंगे। यदि झांकी या इसका कुछ भाग परेड के बाद अन्यत्र स्थापित करना निश्चित होता है तो निश्चित कार्य भी निविदाकर्ता को करना होगा। दूरी 25 से 30 किलोमीटर हो सकती है। इसके लिये अलग से राशि देय नहीं होगी।

10. रक्षा मंत्रालय की निर्णायक कमेटी द्वारा समय–समय पर बताये गये बदलाव या परिवर्तन चयनित निविदाकर्ता द्वारा झांकी में तुरंत करना होगा। किसी भी प्रकार के बदलाव, परिवर्तन आदि का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण का कार्य रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति द्वारा स्वीकृत मॉडल की डिजाइन और स्पेसीफिकेशन के अनुसार निर्धारित तिथि समय में करना अनिवार्य है।

12. रक्षा मंत्रालय की निर्णायक समिति द्वारा झांकी (टेब्ल्यू) चयन किये जाने के बाद झांकी की थीम गीत की रिकार्डिंग की जिम्मेदारी चयनित निविदाकर्ता की होगी, इसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. निविदाकर्ता को संपूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में करने के लिये एक्शन प्लान निविदा के साथ ही देना होगा, न देने की स्थिति में निविदा अस्वीकृत भी किया जा सकता है। विभागीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

14. संस्था का पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीकरण की प्रतियां तथा संस्था का वित्तीय वर्ष, 2022–2023, 2023–24, 2024–25 के आयकर रिटर्न एवं कम्प्युटेशन की प्रतियां तकनीकी बिड में संलग्न करना होगा। वित्तीय वर्ष 2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–25 में झांकी निर्माण कार्य का औसतन वार्षिक टर्न ओवर रूपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) से कम नहीं होना चाहिए। इस आशय का चार्टड एकाउंटेन्ट से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एवं GSTR 9 Auto Populated (System generated) साथ में संलग्न करना पड़ेगा। सी.ए. से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र में झांकी निर्माण कार्य का टर्न ओवर उल्लेख होना अनिवार्य है।

15. झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण की स्वीकृत ऑफर राशि का तीन किश्तों में टी.डी.एस., जी.एस.टी. (सर्विस टैक्स) काटकर भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त 50 प्रतिशत स्ट्रेक्चर पूर्ण होने पर द्वितीय किश्त 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर और तीसरी एवं अंतिम किश्त शेष 25 प्रतिशत का भुगतान डिस्मेटलिंग के पश्चात झांकी निर्माण सामग्री की

वापसी हेतु निर्धारित राशि का समायोजन/कटौती कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। उक्त भुगतान हेतु फर्म को देयक जारी करने होंगे।

16. झांकी में कार्य करने वाले मजदूर, कारीगर तथा उसके फेब्रिकेटर, कलाकारों का पुलिस वेरिफिकेशन, सत्यापन निविदाकर्ता द्वारा कराया जाएगा। जन–धन की क्षति के संबंध में निविदाकर्ता फर्म इन्शोरेंस करा सकती है। किसी भी प्रकार की क्षति के लिये मध्यप्रदेश माध्यम जिम्मेदार नहीं होगा। यदि पुलिस सत्यापन में किसी सदस्य को अयोग्य पाया जाता है तो उसे तत्काल हटा दिया जाएगा। इसके स्थान पर अच्छे चाल–चलन वाले दूसरे सक्षम सदस्य को रखने की कार्यवाही निविदाकर्ता को करनी होगी। झांकी (टेब्ल्यू) के ऊपर/परेड पथ पर कोई भी स्थानीय व्यक्ति/कलाकार शामिल करने का अधिकार मध्यप्रदेश माध्यम के पास सुरक्षित होगा। आवश्यकता पड़ने पर ''टीम लीडर'' चयन करने के लिये अधिकृत होंगे।

17. दिनांक 20 जनवरी 2026 तक झांकी (टेब्ल्यू) का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। अन्यथा समानुपातिक राशि की कटौती कर भुगतान किया जायेगा। झांकी को सुरक्षित (कर्तव्य पथ) पर प्रदर्शन की सम्पूर्ण कार्रवाई/जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

18. चूंकि यह राष्ट्रीय स्तर का अति महत्वपूर्ण विशिष्ट कार्य है, इसे समय–सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करना होता है। इसलिए निविदा स्वीकार करते समय फर्म की क्षमता, योग्यता, गुणवत्ता, आर्थिक सुदृढ़ता एवं उनके द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों के अनुभव का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। **इसके लिए निविदा की न्यूनतम दर होने से यह आवश्यक नहीं होगा कि उसे ही स्वीकृत किया जाये।**

19. चूंकि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्य है इसलिए केवल वही निविदाकर्ता आवेदन करें, जो इसकी समस्त शर्तें पूर्ण करते हैं। निविदाकर्ता बायोडाटा में अपने वास्तविक कार्य अनुभव का उल्लेख करते हुए प्रमाणिक अभिलेख संलग्न करें।

20. बिना कोई कारण बताये निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को होगा।

21. हर भुगतान पर टीडीएस, जीएसटी (टीडीएस) की राशि की कटौती के उपरांत भुगतान किया जायेगा।

22. निविदाकर्ता निविदा शर्तों के प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण वर्ष 2026 की सभी शर्तें स्वीकार है, संबंधी हस्ताक्षर करें।

23. गणतंत्र दिवस परेड 2026 नई दिल्ली में राज्य की झांकी (टेब्ल्यू) की रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने की जबावदेही निविदाकर्ता की होगी।

24. उपरोक्त नियम एवं शर्तों में किसी भी समय आवश्यकतानुसार शिथिलता एवं परिवर्तन करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. माध्यम को होगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर दी जायेगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा और न ही किसी प्रकार के पत्र का जवाब दिया जायेगा।

25. रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक फर्म को अधिकतम दो झाँकी निर्माण एवं प्रदर्शन की पात्रता रखी गयी है। जिसका पालन सुनिश्चित करना होगा।

26. निविदाकर्ता को उल्लेखित थीम के निविदा पर पी.पी.टी. का प्रस्तुतीकरण करना होगा।

27. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकर्ता फर्म को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तें मान्य है। फर्म को रूपये 50/– के स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में स्व हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28. किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र जिला न्यायालय भोपाल ही होगा।

29. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता)** :– किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर – सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

प्रबंध संचालक

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

पूर्ण पता ....

....

....

टेलीफोन नं. ....

मोबाइल नं. ....

फर्म की सील ....

<u>चेकलिस्ट</u>

<u>टेक्निकल बिड के साथ प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची</u>

1. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि mptenders.gov.in के माध्यम से रूपये 2,000/- (वापसी योग्य नही) देय ऑनलाइन रूपये 2,000/- जमा करना होगा।
2. अमानत राशि रूपये 1,00,000/- का mptenders.gov.in के माध्यम से देय ऑनलाइन रूपये 1,00,000/- जमा करना होगा।
3. गणतंत्र दिवस, नई दिल्ली में झांकी (टेब्ल्यू) निर्माण का 3 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रतियां एवं फोटोग्राफ्स निम्न प्रारूप में प्रस्तुत करना है।

क्र.	नियोक्ता	कार्य अनुभव संबंधी कार्यादेश/अनुभव
	(जिस राज्य अथवा मंत्रालय हेतु झांकी का निर्माण किया गया है) का नाम	प्रमाण-पत्र/संतोषजनक सेवा देने संबंधी प्रमाण-पत्र

4. झांकी (टेब्ल्यू) हेतु प्रस्तावित थीम अनुसार तैयार किया गया पृथक-पृथक डिजाइन।
5. झांकी (टेब्ल्यू) से संबंधित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित अवधि में करने के लिये एक्शन प्लान।
6. वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में झांकी निर्माण कार्य का औसतन वार्षिक टर्न ओवर रूपये 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) से कम नहीं होना चाहिए। इस आशय का चार्टड एकाउंटेन्ट से सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सी.ए. से सत्यापित टर्न ओवर (UDIN) प्रमाण-पत्र में झांकी निर्माण कार्य के टर्न ओवर का उल्लेख होना अनिवार्य है।
7. संस्था का पेन नम्बर एवं जी.एस.टी. एवं GSTR 9 Auto Populated (System generated) पंजीयन की प्रति।
8. संस्था का वित्तीय वर्ष 2022-2023, 2023-24 एव 2024-25 के आयकर रिटर्न एवं कम्प्युटेशन की प्रतियां।
9. निर्धारित प्रारूप में 50/- के स्टॉम्प पेपर में स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र की मूल प्रति।

---0---

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में घोषणा–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

घोषणा–पत्र

मैं –––––––––––––––––– संस्था प्रमुख निवासी –––––––––––––––––– म.प्र. माध्यम द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूॅं। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, म.प्र. माध्यम, भोपाल को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे मध्यप्रदेश माध्यम के निविदा के सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार है तथा हमारी संस्था/फर्म रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार कवल दो झाँकियों का निर्माण एवं प्रदर्शन करेगी।

यह कि हमारी संस्था –––––––––––––––––––––– किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान : –––––––––––––––

दिनांक : ––––––––––––––

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

फर्म/संस्था का नाम व मोहर

दरूभाष/मोबाइल नंबर

वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

(फर्म के लेटर पेड में जमा करना है)

1. गणतंत्र दिवस परेड 2026 (26 जनवरी 2026) के अवसर पर नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाने वाली मध्यप्रदेश की झांकी के निर्माण की दर (टर्न–की आधार पर मॉडल, डिजाइन, फेब्रिकेशन एवं संपूर्ण मटेरियल, राजपथ पर प्रदर्शित करने एवं कार्य समाप्ति पश्चात निर्देशानुसार डिसमेल्टिंग सहित एकमुश्त दर) शामिल करें।
2. झांकी प्रदर्शन के बाद डिसमेल्टिंग पश्चात सामग्री वापसी की स्थिति में म.प्र. माध्यम को भुगतान/झांकी निर्माण के अंतिम देयक में समायोजन हेतु दर शामिल करें।

क्रमांक	थीम का विषय	थीम डिजाईन/मॉडल/मटेरियल/ निर्माण प्रदर्शन सहित दर (जीएसटी अतिरिक्त) समस्त शुल्क सहित
1.	(1) सुशासन की अखंड मिशाल– लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300 वीं जंयती वर्ष	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(2) मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति का सशक्तिकरण (दुर्गावती एवं शंकरशाह का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(3) मध्यप्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्य	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....
	(4) आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश औद्योगिकीकरण एवं निवेश की ओर बढते कदम	एकमुश्त दर रू. .... शब्दों में रू. ....

झांकी प्रदर्शन के बाद डिसमेल्टिंग पश्चात सामग्री वापसी की स्थति में

2. (1) एकमुश्त दर रूपये ....

शब्दों में रूपये ....

(2) एकमुश्त दर रूपये ....

शब्दों में रूपये ....

(3) एकमुश्त दर रूपये ....

शब्दों में रूपये ....

(4) एकमुश्त दर रूपये ....

शब्दों में रूपये ....

1. उपरोक्त दरों के अतिरिक्त जी.एस.टी. राशि का विवरण अलग से उल्लेख करें।
2. उपरोक्त दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का चार्ज या Dismenteling Charges अलग से नहीं दिया जायेगा।

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

फर्म / संस्था का नाम व मोहर

दरूभाष / मोबाइल नंबर